

गोमंदराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला
सोहनराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला


बयान

श्री गौरी लालस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़
गोमंदराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला
सोहनराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला
श्रीडूंगरगढ़ जिला

श्री राजलाल बरोटिया अभिभाषक प्रार्थी
श्री सुनील कुमार माली अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ता 3
देशभरराज स्टेट की तरफ से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

यह प्रार्थना पत्र गोविन्द वगैरहा ने जरिये अधिवक्ता के माफत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी गण ग्राम सुरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के स्थाई निवासी है। यह प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 228 तादादी 0.18 हैक्टैयर खसरा नम्बर 229 तादादी 0.46 हैक्टैयर खसरा नम्बर 242 तादादी 9.82 हैक्टैयर खसरा नम्बर 54 तादादी 4.74 हैक्टैयर मय गेरमुमकिन रास्ता 0.0600 खसरा नम्बर 61 तादादी 0.36 हैक्टैयर खसरा नम्बर 62 तादादी 4.90 हैक्टैयर रोही सुरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। जिसमे प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा है। प्रार्थी सं 1 का सही व वास्तविक नाम गोविन्दराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ है व प्रार्थी सं 2 का सही व वास्तविक नाम सोहनराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ है व प्रार्थीगण के आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र व अन्य खेत खसरा नम्बर 973 तादादी 7.58 हैक्टैयर रोही उदासर व खेत खसरा नम्बर 62 तादादी 9.71 हैक्टैयर रोही उदासर चारनाम में भी प्रार्थी सं 1 का नाम गोविन्दराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ व प्रार्थी सं 2 का नाम सोहनराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ दर्ज है लेकिन राजस्व कर्मचारियों की भूलवश प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 228 तादादी 0.18 हैक्टैयर खसरा नम्बर 229 तादादी 0.46 हैक्टैयर खसरा नम्बर 242 तादादी 9.82 हैक्टैयर खसरा नम्बर 54 तादादी 4.74 हैक्टैयर मय गेरमुमकिन रास्ता 0.0600 खसरा नम्बर 61 तादादी 0.36 हैक्टैयर खसरा नम्बर 62 तादादी 4.90 हैक्टैयर रोही सुरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में प्रार्थी सं 1 का नाम गोमंदराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट व प्रार्थी सं 2 का नाम सोहनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट अंकित कर दिया है। प्रार्थीगण ने दिनांक 19.12.2020 को अपने उक्त खेतों पर के.सी.सी. बनाने केलिये हल्का पटवारी से उक्त खेतों के राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की तो प्रार्थीगण को अपनेखेत खसरा नम्बर 228,229,242,54,61,62 में अपना गोविन्दराम के स्थान पर गोमंदराम व सोहनराम के स्थान पर सोहनलाल दर्ज होने की जानकारी हुई। तब प्रार्थीगण से कहा कि संक्षम न्यायालय से आदेश करवाओं तभी राजस्व रिकार्ड



उपखण्ड अधिकारी
श्रीलंगरगढ़ (बीकानेर)

खसरा नम्बर 228 तादादी 0.18 हैक्टेयर खसरा नम्बर 229 तादादी 0.46
खसरा नम्बर 242 तादादी 9.82 हैक्टेयर खसरा नम्बर 54 तादादी 4.74
खसरा नम्बर 61 तादादी 0.36 हैक्टेयर खसरा नम्बर 62 तादादी 0.0600
हैक्टेयर रोही सुरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में प्रार्थी सं 1 का
नाम रामचन्द्र जाति जाट के स्थान पर गोविन्दराम पुत्र रामचन्द्र जाति
सं 2 का नाम सोहन लाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट के स्थान सोहन राम
जाति अंकित कर उक्त खेत के राजस्व रिकार्ड में सशोधन कियेजाने का
करे।

के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये
किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये एवं
पत्र प्रस्तुत किया गया। स्टेट की तरफ से पैरोकार राज ने जवाब पेश
प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थना पत्र
न किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 एवं स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र
में कोई आपत्ति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य
स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खसरा नम्बर 228 तादादी 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 229 तादादी 0.46
खसरा नम्बर 242 तादादी 9.82 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 54 तादादी 4.74 हैक्टेयर
खसरा नम्बर 61 तादादी 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 62 तादादी 0.0600,
हैक्टेयर रोही सुरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में प्रार्थी संख्या 1 का नाम
रामचन्द्र जाति जाट के स्थान पर गोविन्दराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट व
सं 2 का नाम सोहनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट के स्थान पर सोहनराम पुत्र
जाट नाम शुद्ध करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को दिये जाते
हैं। श्रीडूंगरगढ़ तदनुरार राजस्व रिकार्ड में शुद्ध करें।
आज दिनांक 07.04.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे
न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली वाद निर्णय दायरा
से कम होकर दाखिल दफतर हों। आदेश सुनाया गया।



(दिव्या)

कर्मचारी अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़